



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
व्यवस्थापन "ख" वर्ग
लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467,2530431, E-Mail-cepwdia @ gmail.com , Web- http://govt.ua.nic.in/pwd

पत्रांक 659 / 05 व्यख-सा0 / 2022

दिनांक 10 / 06 / 2023

:: कार्यालय ज्ञाप ::

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानों, स्थानान्तरण सत्र 2023-24 हेतु शासनादेश सं0 1/120994/2023/XXX-(2)/-33080 दि0 10.05.2023 द्वारा स्थानान्तरण हेतु निर्धारित अधिकतम सीमा के अन्तर्गत प्रमुख/मुख्य अभियन्ता संवर्ग एवं वृत्तीय संवर्ग में निम्नलिखित कार्मिको को स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम सं0 05 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते है।

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	कार्यहित/ निजीहित	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5	6	7
क	प्रमुख/मुख्य अभियन्ता संवर्ग					
1	श्री प्रमोद सिंह थलाल	प्रधान सहायक	मुख्य अभियन्ता क्षेत्रीय कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून	मुख्य अभियन्ता क्षेत्रीय कार्यालय लो0नि0वि0 हल्द्वानी	निजीहित	धारा 17 (1) (ख) (दो)
2	श्रीमती कीर्ति वर्मा	वरिष्ठ सहायक	मुख्य अभियन्ता क्षेत्रीय कार्यालय लो0नि0वि0 अल्मोडा	विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून	कार्यहित	धारा 17 (1) (ग)
ख	वृत्तीय संवर्ग					
1	श्री मनोज सिंह	प्रधान सहायक	11 वां वि0/यां0 वृत्त लो0नि0वि0 देहरादून	प्रथम वृत्त लो0नि0वि0 अल्मोडा	कार्यहित	धारा 17 (1) (क)
2	राहुल भट्ट	वरिष्ठ सहायक	10वां रा0मा0 वृत्त लो0नि0वि0 देहरादून	छठा वृत्त लो0नि0वि0 उत्तरकाशी	कार्यहित	धारा 17 (1) (क)
3	सुरेश चन्द्र	वरिष्ठ सहायक	11 वां वि0/यां0 वृत्त लो0नि0वि0 देहरादून	12वां वृत्त लो0नि0वि0 पौड़ी	कार्यहित	धारा 17 (1) (क)
4	मानसी जोशी	वरिष्ठ सहायक	छठा वृत्त लो0नि0वि0 उत्तरकाशी	10वां रा0मा0 वृत्त लो0नि0वि0 देहरादून	कार्यहित	धारा 17 (1) (ग)
5	पवन कुमार सिंह	वरिष्ठ सहायक	सांतवा वृत्त लो0नि0वि0 गोपेश्वर	द्वितीय वृत्त लो0नि0वि0 नैनीताल	कार्यहित	धारा 17 (1) (ग)

क्रमशः....2

क्र० सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	कार्यहित/ निजीहित	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5	6	7
6	शुभम तोमर	कनिष्ठ सहायक	नवम् वृत्त लो०नि०वि० देहरादून	8वां लो०नि०वि० टिहरी	कार्यहित	धारा 17 (1) (क)
7	महेश सिंह	कनिष्ठ सहायक	सांतवा वृत्त लो०नि०वि० गोपेश्वर	नवम् वृत्त लो०नि०वि० देहरादून	कार्यहित	धारा 17 (1) (ग)
8	बलवीर सिंह	कनिष्ठ सहायक	8वां लो०नि०वि० टिहरी	सिविल वृत्त हरिद्वार	कार्यहित	धारा 17 (1) (ग)

1. सम्बन्धित कार्मिक को निर्दिष्ट किया जाता है कि यह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।

2. सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करे।

3.. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

4. स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

8812
(दीपक कुमार यादव)
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, लो०नि०वि० उत्तराखण्ड शासन।
2. मुख्य अभियन्ता, (अधिष्ठान) विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि० देहरादून।
- 3.. मुख्य अभियन्ता क्षेत्रीय कार्यालय लो०नि०वि० अल्मोडा/देहरादून/हल्द्वानी/पौड़ी।
4. मुख्य अभियन्ता रा०मा० लो०नि०वि० देहरादून।
4. अधिक्षण अभियन्ता,वां वृत्त लो०नि०वि०,।
5. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,।
6. श्री/श्रीमती, प्रधान सहायक/वरिष्ठ सहायक, क्षेत्रीय कार्यालय लो०नि०वि० देहरादून/अल्मोडा।
7. श्री/श्रीमती, प्रधान सहायक/वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक,वां वृत्त लो०नि०वि०।
8. अधिशासी अभियन्ता आई०टी०, विभागाध्यक्ष कार्यालय लो०नि०वि० देहरादून को विभागीय वैब-साईट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
9. गार्ड पत्रावली।

10/10/20
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
Lmish